प्रबन्ध समिति

जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एटा

1.	डॉ. राजीव कुलश्रेष्ठ		अध्यक्ष
2.	श्री अवनीन्द्र पाठक		उपाध्यक्ष
3.	श्री रामनरेश मिश्र	मो. 9412095148	सचिव
4.	डॉ. भूपेन्द्र शंकर		सदस्य
5.	श्री अजय चतुर्वेदी		सदस्य
6.	श्री राकेश वार्ष्णेय		सदस्य
7.	मौ. मशकूर		सदस्य
8.	श्री उमाशंकर उपाध्याय		सदस्य
9.	प्राचार्य		पदेन सदस्य
10.	दो शिक्षक प्रतिनिधि		चक्रानुसार
11.	एक शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि		चक्रानुसार

VISION

"To develop a scientific approach in young students to cultivate a scientific mind through creating opportunities of higher education in district Etah."

MISSION

"To prepare young boys and girls to act as player for the promotion of economic and intellectual development of the area and to play a creative role in the service of society to which they belong."

पुस्तकालय समिति :-	-		राष्ट्रीय सेवा योजना	अधि	ाकारी :-
डॉ. सुनीता सक्सेना	_	संयोजक	इकाई प्रथम (छात्रा)	– ভা	ि सुनील विप्रा
डॉ. शकील अहमद	_	सदस्य	इकाई द्वितीय (छात्र)	- श्रं	ो भूपेन्द्र सचान
श्री सर्वेन्द्र कुमार	_	सदस्य	जनसम्पर्क/मीडिया प्र	भारं	f
डॉ. मनोज सिंह	_	सदस्य	डॉ. बाबूलाल भारती	-	संयोजक
डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय	_	सदस्य	श्री सर्वेन्द्र कुमार	-	सदस्य
वित्त समिति			श्री राम अबध सिंह यादव	-	सदस्य
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति/नामि	नत सर	इस्य	डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र	-	सदस्य
	- स्		शिकायत निवारण स	मिति	Ŧ
श्री भूपेन्द्र सचान	- स	नदस्य	डॉ. वाचस्पति यादव	-	संयोजक
श्री नन्द किशोर अग्निहोत्री			डॉ. बाबूलाल भारती	-	सदस्य
श्री अशोक कुमार जैन	- 1	नदस्य	डॉ. मनोज सिंह	-	सदस्य
भवन अनुरक्षण, साज			डॉ. अनुपम जैन		सदस्य
डॉ. शकील अहमद	_	संयोजक	महिला उत्पीड़न समि	ते	
डॉ. वाचस्पति यादव	_	सदस्य	श्रीमती जया गुप्ता	-	संयोजक
श्री राम सिंह	_	सदस्य	डॉ. अनुपम जैन	-	सदस्य
श्री राम अबध सिंह यादव	-	सदस्य	साइकिल स्टैण्ड समि	ति	
भवन निर्माण एवं क्रय	र्ग वि	क्रय समिति :-	श्री राम सिंह	-	संयोजक
श्री सर्वेन्द्र कुमार	_ 7	पं योजक	श्री राम अबध सिंह यादव	-	सदस्य
डॉ. प्रवेश पाण्डेय	_ 7	सदस्य	श्री सुशील कुमार		सदस्य
कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग र्सा	मेति	:-	आन्तरिक गुणवत्ता प्र	को	ष्ठ
श्री आलोक रंजन	- 7	पं योजक	डॉ. सुनीता सक्सेना	-	अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार जैन	_ 7	सदस्य	श्रीमती जया गुप्ता	-	समन्वयक
विश्वविद्यालय अनुदा	न अ	ायोग समिति	श्री भूपेन्द्र सचान	-	सदस्य
श्रीमती जय गुप्ता			डॉ. भूपेन्द्र शंकर	-	सदस्य
श्री भूपेन्द्र सचान	-	सदस्य	श्री राकेश वार्ष्णेय		सदस्य
श्री नन्द किशोर अग्निहोत्री	_	सदस्य	डॉ. अनिल कुमार सक्सेना		सदस्य
चिकित्सा समिति :-			एन्टी रेगिंग कमेटी		
डॉ. गोपी चन्द्र गुप्ता	– f	चिकित्साधिकारी		-	संयोजक
डॉ. मनोज सिंह	_ 7	सदस्य	डा. के.पी. सिंह		सदस्य
श्री अनूप सक्सेना	_ 7	सदस्य	डॉ. मनोज सिंह		सदस्य
क्रीड़ा समिति :-			इको-फ्रेन्डली सेल		
~ ~ ~	- 7	पं योजक			संयोजक
डॉ सुनील विप्रा	- 7	सदस्य			सदस्य
- ^ ·	- 7	सदस्य			सदस्य
डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय	_ 7	सदस्य	डॉ. बाबूलाल भारती		सदस्य
-			डॉ. हदेयेश शर्मा	_	सदस्य

प्रशासनिक समितियाँ

	•	4411/11/11/11	\	
प्रवेश समिति :-				
स्नातक कला संकाय :-			एम. ए. (अंग्रेजी) :-	
1. डॉ. शकील अहमद	_	संयोजक	1. डॉ. अनुपम जैन	– संयोजक
2. डॉ. वाचस्पति यादव	_	सदस्य	अनुशासन समिति	
3. श्री भूपेन्द्र सचान	_	सदस्य	उ ं डॉ. वाचस्पति यादव	- मुख्य अनुशासक
4. श्री सर्वेन्द्र कुमार	_	सदस्य	डॉ. के.पी. सिंह	- सदस्य
5. डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय	_	सदस्य	श्री राम अबध सिंह यादव	- सदस्य
6. डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र	_	सदस्य	श्री आसिफ कलीम	- सदस्य
7. श्री सुशील कुमार	_	सदस्य	डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय	- सदस्य
स्नातक विज्ञान संकाय:-			श्रीमती जया गुप्ता	- सदस्य
1. डॉ. मनीष शर्मा	_	संयोजक	डॉ. मनीष शर्मा	- सदस्य
2. डॉ. शैलेन्द्र शर्मा	_	सदस्य	डॉ. अनुराग दुबे	- सदस्य
3. डॉ. प्रघुम्न चतुर्वेदी	_	सदस्य	सांस्कृतिक समिति :-	
 डॉ. अनुराग दुबे 	_	सदस्य	श्रीमती जया गुप्ता	– संयोजक
5. श्रीमती रजनी	_	सदस्य	डॉ. सुनील विप्रा	- सदस्य
स्नातक वाणिज्य संकायः	-		डॉ. अनुपम जैन	- सदस्य
1. डॉ. मोहन वार्ष्णेय	_	संयोजक	समय सारिणी समिति	r :-
2. डॉ. अमरदीप मिश्रा	_	सदस्य	डॉ. सुनीता सक्सैना	– संयोजक
3. श्रीमती रजनी	_	सदस्य	डॉ. अनुराग दुबे	- सदस्य
बी.बी.ए. संकाय :-			छात्र कल्याँण समिति	` : -
1. श्रीमती जया गुप्ता	_	प्रभारी	डॉ. के.पी. सिंह	– संयोजक
2. श्री अंकित कुदेशिया	_	सदस्य	डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय	- सदस्य
3. श्रीमती सोनाक्षी द्विवेदी	_	सदस्य	डॉ. अनुपम जैन	- सदस्य
4. श्री अशोक जैन	_	सदस्य	छात्रवृत्ति समिति :-	
एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	:-		डॉ. वाचस्पति यादव	– संयोजक
1. डॉ. शकील अहमद	_	संयोजक	श्री संजय यादव	- सदस्य
2. डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र	_	सदस्य	श्री राम सिंह	- सदस्य
एम.ए. (हिन्दी):-			श्री प्रदीप बाबू	- सदस्य
1. डॉ. सुनीता सक्सेना	_	संयोजक	छात्र शुल्क मुक्ति सी	मेति :-
2. डॉ. के.पी. सिंह	_	सदस्य	डॉ. शकील अहमद	– संयोजक
एम. ए. (भूगोल) :-			श्री संजय यादव	- सदस्य
1. डॉ. सुनील विप्रा	_	संयोजक	श्री आसिफ कलीम	- सदस्य
2. श्री संजय यादव	_	सदस्य	पत्रिका समिति :-	
3. श्री राम सिंह	_	सदस्य	डॉ. के.पी. सिंह	– संयोजक
एम.ए. (समाजशास्त्र) :-			डॉ. बाबूलाल भारती	- सदस्य
	_	संयोजक	डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र	- सदस्य
1. भूपेन्द्र सचान				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
• •			डॉ. अनुपम जैन	- सदस्य
एम. ए. (अर्थशास्त्र) :- 1. श्री राम अबध सिंह यादव	_	संयोजक	डॉ. अनुपम जैन	– सदस्य

महाविद्यालय परिवार

डॉ. सुनीता सक्सेना - कार्यवाहक प्राचार्य

हिन्दी विभाग :-

 डॉ. (श्रीमती) सुनीता सक्सेना (प्रभारी) एसोसिएंट प्रोफेसर
 डॉ. कामेश्वर प्रसाद सिंह एसोसिएंट प्रोफेसर
 डॉ. वाचस्पित यादव एसोसिएंट प्रोफेसर
 डॉ. बाबूलाल भारती असिस्टेण्ट प्रोफेसर अन्य प्रवक्ता प्रबन्ध समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत।

अर्थशास्त्र विभाग :-

श्री रामअवध सिंह यादव (प्रभारी) असिस्टेण्ट प्रोफेसर
 डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय असिस्टेण्ट प्रोफेसर
 श्रीमती जया गुप्ता असिस्टेण्ट प्रोफेसर

भूगोल विभाग :-

1. डॉ. सुनील विप्रा (प्रभारी) असिस्टेण्ट प्रोफेसर 2. श्री संजय यादव असिस्टेण्ट प्रोफेसर 3. श्री राम सिंह असिस्टेण्ट प्रोफेसर 4. डॉ. मनोज सिंह असिस्टेण्ट प्रोफेसर

राजनीति शास्त्र विभाग :-

डॉ. शकील अहमद एसोिसऐट प्रोफेसर
 डॉ. रत्नेश कुमार मिश्र असिस्टेण्ट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग :-

 श्री भूपेन्द्र सचान (प्रभारी) असिस्टेण्ट प्रोफेसर अन्य प्रवक्ता प्रबन्ध समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत।

अंग्रेजी विभाग :-

डॉ. अनुपम जैन (प्रभारी) असिस्टेण्ट प्रोफेसर
 डॉ. सत्यपाल सिंह भदौरिया असिस्टेण्ट प्रोफेसर

संस्कृत विभाग :-

1. श्री सर्वेन्द्र कुमार असिस्टेण्ट प्रोफेसर

इतिहास विभाग :-

प्रबन्ध समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत।

शारीरिक शिक्षा विभागः-

1. श्री आसिफ कलीम (प्रभारी) असिस्टेण्ट प्रोफेसर

B.Sc., B.Com., B.B.A. :-

प्रबन्ध समिति की व्यवस्था के अन्तर्गत।

कार्यालय :-

श्री अशोक कुमार जैन – कार्यालय अधीक्षक
 श्री आलोक रंजन विशिष्ठ – स्टैनो/वैयक्तिक सहायक
 श्री नन्द किशोर अग्निहोत्री – लेखाकार

श्री अनूप कुमार सक्सेना – नैत्यिक लिपिक
 श्री सुशील कुमार सिंह – नैत्यिक लिपिक

6. कु. रजनी – नैत्यिक लिपिक

19

ं श्री प्रदीप बाबू – नैत्यिक क्रिपिक

चर्तूथ श्रेणी कर्मचारी :-

1. श्री विजय सिंह माली श्री मुकुल कुलश्रेष्ठ श्री योगेश चन्द्र गौतम परिचर परिचर परिचर श्री राम निवास 4. श्री शिवकृष्ण परिचर बुक लिफ्टर श्री विनीत कुमार पाठक 6. श्री विनोद कुमार परिचर 7. श्री संजय कुमार चौकीदार 8.

M.A. द्वितीय वर्ष के प्रश्नपत्रों का विवरण निम्न प्रकार है ENGLISH

Paper I Study of a Period: 1798 to 1994

Paper II Critical Theory

Paper III Classical/Biblical Texts & Works Based on Classical Models

Paper IV Twentieth Century Literature
Paper V American Literature/Dissertation

VV Viva - Voce

ECONOMICS

Paper I Macro Economic Analysis

Paper II Public Economics

Paper III International Trade & Finance

Paper IV Labour Economics

VV Viva - Voce

GEOGRAPHY

Paper I Climatology and Oceanography
Paper II Regional Geography of India

Paper III Urban Geography

Paper IV Environmental Geography

PR Practical

POLITICAL SCIENCE

Paper I Theories of International Relations

Paper II Major Ideas & Issues in Public Administration

Paoer III Indian Administration
Paper IV India's Foreign Policy

VV Viva - Voce

SOCIOLOGY

Paper I Theoretical Perspective in Sociology
Paper II Sociology of Change & Development

Paper III Criminology

Paper IV Environment and Society

VV Viva - Voce

हिन्दी

प्रश्न पत्र – 1 आधुनिक हिन्दी काव्य प्रश्न पत्र – 2 काव्यशास्त्र एवं साहित्यालोचन

प्रश्न पत्र – 3 भारतीय साहित्य प्रश्न पत्र – 4 प्रयोजनमुलक हिन्दी

प्रश्न पत्र - 5 (ज) प्राचीन भाषा - सूरदास अथवा लघुशोध प्रबन्ध

VV मौखिकी

M.A. प्रथम वर्ष के प्रश्नपत्रों का विवरण निम्न प्रकार है

ENGLISH

Paper I Poetry
Paper II Fiction
Paper III Drama

Paper IV Non Fictional Prose

ECONOMICS

Paper I Micro Economic Analysis
Paper II Indian Economic Policy

Paper III Demography

Paper IV Agricultural Economics

GEOGRAPHY

Paper I Geomorphology

Paper II History of Geographical Thought

Paper III Economic Geography

Paper IV Population and Settlement Geographyonomic Survey

PR Practical

POLITICAL SCIENCE

Paper I Indian Government and Politics

Paper II Comparative Politics

Paper III Contemporary Political Isues
Paper IV International Organization

SOCIOLOGY

Paper I Classical Sociological Traditon
Paper II Methodology of Social Research

Paper III Social Demography

Paper IV Political Sociology in India

(हिन्दी)

प्रश्नपत्र 1 आधुनिक गद्य साहित्य

प्रश्नपत्र 2 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य प्रश्नपत्र 3 हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रश्नपत्र 4 भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

Eligibility : Intermediate or 10+2 should be good in English.

Capacity : 60 Seats.

Admission : Through Merit List.

Fee : Rs. 7100 + 1500 Univ. Exam + 300 enrolment fee (In 1st Semester

Only) + 70 Cultural & games

PGDCP

Eligibility : Bachelor (स्नातक)

Duration : 1 Year

Fee : Rs. 9000 /-

राष्ट्रीय सेवा योजना NATIONAL SERVICE SCHEME

राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित है। सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत स्नातक स्तर के छात्र/छात्राएँ दो वर्ष तक विविध समाज सापेक्ष कार्य सम्पन्न कर प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं जिसमें विविध स्तरों पर अतिरिक्त अंक का लाभ मिलता है। समाज सेवा के इस कार्य से छात्र/छात्राओं को प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक उपलब्धियों एवं पुरस्कारों की सतत् सम्भावना रहती है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) NATIONAL CADET CORPS

राष्ट्रीय कैंडेट कोर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित एक महत्वपूर्ण युवा संगठन है। देश में लगभग 14 लाख कैंडेट हैं। इस कोर में छात्र/छात्राएँ दो वर्ष तक प्रशिक्षण एवं एक कैम्प के साथ परीक्षा उपरान्त 'बी' प्रमाण पत्र एवं तीन वर्ष तक प्रशिक्षण एवं दो कैम्प के बाद परीक्षा उपरान्त 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। महाविद्यालय में एन. सी. सी. की सब-यूनिट 2P1 6/9 UPNCC COY, 9 UP BN NCC हाथरस से इस वर्ष संचालन प्रस्तावित है। एन. सी. सी. प्रशिक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं को अनेक रोमांचकारी, साहस एवं ज्ञानवर्धक कैम्पों में भेजा जाता है। इन्हीं कैम्पों में गणतन्त्र दिवस परेड हेतु कैंडेटों का चयन किया जायेगा।अधिक जानकारी एन. सी. सी. कार्यालय से अपेक्षित होगी।

- 13. सांस्कृतिक कार्यक्रम: कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है जिसमें निबन्ध-लेखन, वाद-विवाद, भाषण, नृत्य व गायन, रंगोली, मेंहदी आदि प्रतियोगितायें सम्मिलित हैं।
- 14. आन्तरिक गुणवत्ता प्रमाणन प्रकोष्ठ: उक्त प्रकोष्ठ जो कॉलेज के शैक्षणिक एवं अन्य गितिबिधियों का सत्र के लिये निर्धारण व उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। छात्रों को अध्यापन से सम्बन्धित या अन्य कोई कॉलेज से सम्बन्धित कठिनाई है तो इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते है।
- 15. एंटी रैगिंग सैल: कॉलेज में एंटी रैगिंग सैल भी कार्यरत है। किसी छात्र अथवा छात्रा का उत्पीड़न सर्वथा वर्जित है पकड़े जाने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 16. कॉलेज पित्रका: कॉलेज पित्रका 'विवेक दृष्टि' छात्रों को स्वतन्त्र लेख एवं पत्रकारिता के विकास का सुअवसर प्रदान करती है। अध्यापको के निर्देशन में पित्रका का सम्पादन होता है। रचनायें मौलिकता के निर्धारित प्रमाण-पत्र के साथ सम्पादक को प्रेषित की जायेगी।

विशेष:

- 1. जो छात्र/छात्रा गत सत्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए होंगे, उन्हें संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 2. विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग के दोषी छात्र/छात्राओं का प्रवेश नहीं हो सकेगा।
- 3. अनुशासनहीन, अपराधी अथवा निष्कासित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 4. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को पुन: अन्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 5. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र <u>(T.C.)</u> एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। किसी भी दशा में डुप्लीकेट <u>T.C.</u> जारी नहीं होगी।

प्रवेश नियमावली - 2020-21

महाविद्यालय के प्रवेश नियम

- 1. निर्धारित योग्यता वाले प्रार्थियों के लिये उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार प्रवेश खुला है किन्तु प्राचार्य बिना कोई कारण बताये हुए किसी भी प्रार्थी का प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। कोई प्रार्थी अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की मांग नहीं कर सकता। चाहे वह प्रवेश के योग्य क्यों न हो?
- 2. प्रवेश सिमितियों की संस्तुति पर डाॅ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों, योग्यता क्रमानुसार, साक्षात्कार का आयोजन कर, प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध रिक्त स्थानों की पुर्ति की जायेगी।
- 3. किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश तब पूर्ण माना जायेगा जबिक संकाय द्वारा उनका साक्षात्कार किया जा चुका हो तथा उनके द्वारा प्रवेश का आदेश देने के पश्चात् उसने निर्धारित पूर्ण शुल्क व वांछित प्रमाणित प्रमाण-पत्र जमा कर दिये हों तथा विधिवत् प्रवेश सूची में उसका नाम आ गया है। शुल्क जमा करने में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
- 4. प्रवेश की पुष्टि के बाद किसी भी समय यह मालूम होने पर कि किसी प्रार्थी ने कोई असत्य अथवा अशुद्ध वक्तव्य दिया था अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अनुचित या छलयुक्त साधन का प्रयोग किया गया था, तो ऐसे प्रार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश रद्द कर उसका नाम कॉलेज पंजिका से काट दिया जायेगा।
- 5. किसी भी ऐसे छात्र को किसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो अनुशासनात्मक कार्यवाही द्वारा कॉलेज से निष्कासित अथवा काली सूची में अंकित किया गया हो अथवा जो किसी विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहा हो।
- 6. किसी छात्र का प्रवेश आवेदन-पत्र केवल उसी संकाय में विचाराधीन होगा जिस संकाय में उसका आवेदन-पत्र पंजीकृत हुआ है। एक बार पंजीकृत होने के उपरान्त संकाय परिवर्तन संभव नहीं होगा।
- 7. जो छात्र/छात्रायें अपने परिवार (माता/पिता) के साथ नहीं रहते हैं उनको विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्थानीय संरक्षक की देख-रेख में रहना है और स्थानीय संरक्षक का नाम/पता उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- 8. प्रवेश मिलने के बाद किसी भी समय बुलाये जाने पर माता/पिता अथवा अभिभावक प्राचार्य के समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे और यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
- 9. छात्र/छात्रायें कॉलेज में अनुशासनहीनता करते हुए या परीक्षाओं में नकल या दुर्व्यवहार के दोषी या जिन पर न्यायालय में आपराधिक मामला विचाराधीन हो, उनको प्रवेश की अनुमित नहीं दी जायेगी। अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 10. छात्रों का यह दायित्व होगा कि वह कॉलेज में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर संपर्क करते रहे, और सूचना पट पर दी गयी सूचनाओं को ध्यान रखें। यदि संपर्क न करने के कारण नीचे की मेरिट के छात्र प्रवेश सूची में स्थान पा जायेगें तो प्रवेश न होने का सम्पूर्ण दायित्व आपका ही होगा।
- 11. विषय परिवर्तन की अनुमति सामान्यत: नही दी जा सकेगी।
- 12. शारीरिक शिक्षा विभाग: कॉलेज में विशाल क्रीड़ा स्थल है जहाँ बास्केट बॉल, बॉलीबाल, ऐथलैटिक्स, टेबिल टेनिस, व्यायामशाला, क्रिकेट, बैडिमण्टन, खो-खो, आदि खेलने के लिये सम्पूर्ण सुबिधायें उपलब्ध है।

सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण-पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

- स- सामान्यत: स्नातक कक्षा के एक सेक्शन में 70 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपित को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी।
- द- विशेष परिस्थितियों में कुलपित को प्रवेश के लिए अनुमित प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमित नहीं दी जायेगी जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालय में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
- 4. अ- प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपित को लिखेंगे और कुलपित का निर्णय अंतिम होगा।
 - ब- प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।
 - स- एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालयों में छात्रों का स्थानान्तरण सम्बंधित प्राचार्यों की सहमित से, सरकारी शिक्षा एवं कर्मचारी वार्डों को सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण अनुमन्य हो सकता है एवं शेष सभी छात्रों को महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण अनुमन्य हो सकता है एवं शेष सभी छात्रों को महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है।
 - द- प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
 - य- अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना पट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की **अद्यतन''अप-टू-डेट''** जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अविध के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्तर्सम्बंधित नियमों को भलीभाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझे जायें।

कुल सचिव

डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय.

आगरा |

Website: www.dbrau.ac.in

नहीं की है। 3 अंक

3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री)

5 अंक

(ख) स्नातकोत्तर कक्षार्ये :

- 1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतू 15 अंक
- 2. एन0सी0सी0 ''सी'' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कैंडिटों को

8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण पत्र धारक कैडिटों को

6 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घंटे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

- 3. एन0 एस0 एस0 में 240 घंटे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पुरा करने के लिए 5 अंक
- 4. महाविद्यालय स्तर पर रोबर्स/ रैंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में भाग लिया हो। 5 अंक

नोट: उपर्युक्त 1 से 4 के संदर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, एन0 सी0 सी0 अधिकारी, एन0 एस0 एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोबर्स के लिए समन्वयक (रोबर्स : रैंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें:

- डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थानों के अनुबंधित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पित/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी पिरयोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पित/पत्नी/पुत्र-पुत्री
- भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पित-पत्नी, पुत्र-पुत्री (अविवाहित)
- 3. कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी:

- प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रामाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा, यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
- 2. प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - नोट :िकसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
- 3. अ– कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है।
 - ब- कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो

छात्र भी सम्मिलित हैं यदि उनके योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

- (3) शासनादेश सं॰ जी॰आई॰ 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र/छात्राओं को दो स्थानों पर उक्त 20 प्रतिशत स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।
- (4) भाग-2 तथा 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग 1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।
 - (5) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडैण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेश रिजस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अहर्ता रखते हों। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बंधित दूतावास द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरांत कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमित पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- 1. अधिष्ठाता विदेशी छात्र
- 2. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य चक्रक्रमानुसार
- 3. एस0 एन0 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक

नोट: कोई भी महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमित के विदेशी छात्रों को प्रवेश 'प्रोवीजनल' भी नहीं देगा।

4. सिमिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :-

- 5. क. स्नातक कक्षायें :-
 - 1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।
 - 2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

ख. स्नातकोत्तर कक्षायें :

- 1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।
- 2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहां अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

- 1. क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। 5 अंक
- 2. एन0सी0सी0''सी'' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कैडिटों को

अथवा

एन0सी0सी0 ''बी'' सर्टीफिकेट/जी-1 प्रमाण-पत्र धारक कैडिटों को

6 अंक

8 अंक

अथवा

एन0सी0सी0 कैंडिट जिन्होंने 240 घंटे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण

(स) कला संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सिम्मिलित न हुये हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुन: प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

''यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो, पुन: उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलत होने की सुविधा न हो।''

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्घृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the Act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall, however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any, laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion, refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith.

स्पष्टीकरण: उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है।

- 1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
- 2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिये विचाराधीन हो।
- 6. (अ) स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अहर्ता निम्न प्रकार होगी:-
 - (1) बी. एस-सी. फिजिकल सांइस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
 - (2) बी.एस-सी. लाइफ सांइस के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
 - (3) बी.ए. के लिये इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।
 - (ब) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :-
- (1) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10 एवं 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू०पी० आगरा मण्डल तथा डा० बी० आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो।

जनपदों के इण्टरमीडियेट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा जिन छात्रों ने 10 एवं 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू० पी० आगरा मण्डल तथा डा० बी० आर० अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो।

(2) शेष 20 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी

डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश नियमावली : 2020-21

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागु होंगे।

सामान्य निर्देश

- (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पैक्टस'' तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।
 - (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2020-2021 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग कैटेगरी के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
 - (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का मूल्य रु० २५०/- नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रु० २७५/-लिया जायेगा।
- 2. (अ) सत्र 2020-2021 के लिए कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के ''त्रिवर्षीय पाठयक्रम'' में ही प्रवेश दिये जायेंगे।
 - (स) सत्र 2020-21 में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थी सम्बंधित अर्ह परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित होने पर अंकतालिका के निर्गत होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करके प्रवेश हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय में अपना पंजीकरण करा सकेंगे, यदि सम्बंधित महाविद्यालय में स्थान रिक्त हैं तथा प्रवेशार्थी समस्त वैधानिक प्रतिबन्ध को पूर्ण करता हो।
- 3. (1) स्नातक स्तर पर सभी छात्र/छात्राओं को राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण अध्ययन विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा।
 - (2) उक्त अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम 50 अंको का होगा। प्रत्येक स्नातक स्तर के विद्यार्थी को इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण करने हेतु न्यनतम 17 अंक लाना अनिवार्य होगा। उक्त अंक सम्बन्धित परीक्षा के कुल अंको में नहीं जुड़ेंगें।
 - (3) उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होगी। तथा ओ.एम.आर. शीट पर कराई जायेगी।
- 4. (अ) प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित कॉलेज नोटिस पट ''नोटिस बोर्ड'' पर लगा दी जायेगी। छात्र तद्नुसार प्रवेश ले लें।
 - (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में संबंधित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबंधित न हो।
- 5. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिये संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
 - (ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुन: संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित होंगे। ये भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

कला संकाय का वार्षिक शुल्क का विवरण (रु०) (शुल्क विवरण 2020-21)											
कक्षा	शिक्षण	मँहगाई	वार्षिक	भूगोल	विश्व	नामांकन	विश्व	भूगोल	চ্যান্স/	ऑफिस	शारीरिक
	शुल्क	भत्ता	शुल्क	गृह विज्ञान	विद्यालय	शुल्क	विद्यालय	टूर	छात्रायें	मैनेजमेंट	शिक्षा
		'		संगीत	शुल्क	` '	प्रैक्टीकल	शुल्क			वि.वि.
	<u> </u>	<u> </u> '	[]	लैब शुल्क	'	<u> </u>	शुल्क	Ĺ			शुल्क
बी.ए. प्रथम वर्ष	132	42	966	í	1500	300			2940	2000	200
बी.ए.प्रथम वर्ष भूगोल	132	42	966	265	1500	300	200		3405	2000	200
बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	132	42	966	<u></u> '	1500	<u> </u>		<u> </u>	2640	2000	200
बी.ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष भूगोल	132	42	966	265	1500	<u> </u>	200		3105		200
एम.ए. प्रथम वर्ष	180	42	974		2000				3196		200
एम.ए. प्रथम वर्ष भुगोल	180	42	974	265	2000		200	2000	5661		200
एम.ए. द्वितीय वर्ष	180	42	974	<u> </u>	2000	<u> </u>	200	<u> </u>	3396		200
एम.ए. द्वितीय वर्ष भूगोल	180	42	974	265	2000		200	2000	5661		200
गृह विज्ञान		Γ_{-}		500							200
संगीत				500							200
इण्टरनेट युक्त कम्प्यटर प्रशिक्षण हेत लेब का ऐव्हिक वार्षिक शल्क-400											

स्ववित्तपोषित संकाय का शुल्क विवरण (रु०)

कक्षा	वार्षिक	लैब फीस	योग	विश्वविद्यालय	नामांकन	विश्वविद्यालय	कुल विश्वविद्यालय
	शुल्क			शुल्क	शुल्क	प्रैक्टीकल शुल्क	परीक्षा शुल्क
बी.एस.सी. प्रथम वर्ष-मैथ	3800	1200	5000	1500	300	200	2000
बी.एस.सी. प्रथम वर्ष–बायो.	3800	1200	5000	1500	300	200	2000
बी एस सी . द्वितीय एवं तृतीय वर्ष — मैथ	3800	1200	5000	1500		200	1700
बी.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष – बायो.	3800	1200	5000	1500		200	1700
बी कॉम प्रथम वर्ष	4500		4500	1500	300		1800
बी.कॉम द्वितीय वर्ष	4500		4500	1500			1500
बी.कॉम तृतीय वर्ष	4500		4500	1500			1500
एम.ए. प्रथम वर्ष अंग्रेजी	5000		5000	2000			2000
एम .ए . द्वितीय वर्ष अंग्रेजी	5000		5000	2000		200	2200

इण्टरनेट युक्त कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु लैब का एैच्छिक वार्षिक शुल्क-400 रनातक का वार्षिक शुल्क (रुँ०) स्नातकोत्तर का वार्षिक शुल्क (रु०)

विद्युत/जनरेटर शुल्क	400	विद्युत/जनरेटर
छात्र कल्याण शुल्क	12	छात्र कल्याण श्
वार्षिक दिवस शूल्क	6	वार्षिक दिवस श्
लाइब्रेरी फीस	30	लाइब्रेरी फीस
मेडीकल फीस	12	मेडीकल फीस
परिचय पत्र शुल्क	15	परिचय पत्र शु
कॉलिज भवन रखरखाव शुल्क	18	कॉलिज भवन र
पत्रिका शुल्क	50	पत्रिका शुल्क
शीत एवं ग्रीष्म शूल्क	30	शीत एवं ग्रीष्म
पंखा शुल्क	12	पंखा शुल्क
वार्षिक खेलकूद शुल्क	4	वार्षिक खेलकूद
निर्धन छात्र शुल्क	12	निर्धन छात्र शुब
खेलकूद शुल्क	200	खेलकूद शुल्क
लाइब्रेरी आकस्मिक शुल्क	30	लाइब्रेरी आकरि
साँस्कृतिक कार्यक्रम शृल्क	50	साँस्कृतिक कार
		۱۰ ۲۰

विकास शुल्क

साईकिल स्टैण्ड शुल्क

प्रवेश शुल्क पंजीकरण शुल्क

विकास शुल्क	30
विद्युत/जनरेटर शुल्क	400
छात्र कल्याण शुल्क	12
वार्षिक दिवस शुल्क	6
लाइब्रेरी फीस	38
मेडीकल फीस	12
परिचय पत्र शुल्क	15
कॉलिज भवन रखरखाव शुल्क	18
पत्रिका शुल्क	50
शीत एवं ग्रीष्म शुल्क	30
पंखा शुल्क	12
वार्षिक खेलकूद शुल्क	4
निर्धन छात्र शुल्क	12
खेलकूद शुल्क	200
लाइब्रेरी आकस्मिक शुल्क	30
साँस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	50
साईकिल स्टैण्ड शुल्क	50
प्रवेश शुल्क	3
पंजीकरण शुल्क	2
योग	974
	$\overline{}$

टिप्पणी

- 1. सभी शुल्क शासन/विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत हैं। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश संख्या 1260/सत्तर-2-9772 (85) दिं0 11 नवम्बर, 1997 द्वारा अधिकृत शुल्क निर्धारित किया गया है।
- 2. उपर्युक्त शुल्क राजकीय आदेशानुसार व विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तनशील हैं।
- विज्ञान संकाय के इच्छुक भूतपूर्व परीक्षार्थियों को प्रयोगशाला में कार्य करने की अनुमित प्रदान करने हेतु 2000.00 का वार्षिक शुल्क देय होगा।
- 4. कोई भी शुल्क की वापसी सम्भव नहीं होगी। केवल आवेदित संकाय में प्रवेश विचाराधीन होगा।
- 5. विश्वविद्यालय शुल्क परीक्षा फार्म भरने से पूर्व जमा करना होगा।

विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

- महाविद्यालय में शस्त्र, मोबाइल, पान, मसाला, गुटखा, आदि लाना या खाना, सिगरेट बीड़ी लाना या पीना वर्जित हैं पकड़े जाने पर 100 रु० जुर्माना देय होगा एवं प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है।
- 2. सभी विद्यार्थी महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वच्छता रखने का विशेष ध्यान रखेंगे।
- कोई भी विद्यार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण अथवा शान्ति व्यवस्था विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
- विद्यार्थी दलगत राजनीति में भाग नहीं लेंगे।
- 5. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रतिदिन परिचय पत्र साथ लाना आवश्यक है तथा मांगने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
- 6. यदि कोई विद्यार्थी 15 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम व्याख्यान पंजिका से काटा जा सकता है।
- 7. विद्यार्थियों को यह सावधानी रखनी होगी कि वे किसी भी अनैतिक मूलक या अपराध मूलक अभियोगों से दूर रहें अन्यथा उसका नाम महाविद्यालय की पंजिका से पृथक् कर दिया जायेगा।
- 8. संस्थागत विद्यार्थियों के अतिरिक्त किन्ही भी बाहरी व्यक्तियों का शैक्षणिक परिसर में प्रवेश सर्वथा वर्जित है। विद्यार्थी अपने साथ बाहरी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से न लायें।
- 9. भूतपूर्व विद्यार्थी, अभिभावक एवं कालेज कार्य से सम्बंधित कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं हेतु प्रशासनिक खण्ड में स्थित कार्यालय में ही सम्बंधित व्यक्ति से सम्पर्क कर अपना कार्य सम्पादित करेंगे तथा शैक्षिक परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। विशिष्ट प्रयोजन होने पर प्राचार्य या मुख्य अनुशासक की अनुमित से ही शैक्षिक परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
- 10. खोई हुयी वस्तु पाने पर उसे अपने विवरण के साथ तुरन्त कार्यालय प्रभारी/प्राचार्य के पास जमा करें।

विषयों का चयन (प्रस्तावित)

बी.ए. प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्रायें विषयों का चयन निम्न प्रकार करेंगे।

अनिवार्य विषय - राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन।

एैच्छिक विषय - निम्न लिखित विष्यों में कोई भी तीन-

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल अथवा इतिहास, गृहविज्ञान, आफिस मैनेजमैन्ट, शारीरिक शिक्षा, हिन्दी भाषा/ सामान्य अंग्रेजी/सामान्य संस्कृत।

बी.ए. द्वितीय वर्ष के छात्र एवं छात्रायें बी.ए. प्रथम वर्ष में लिये गये विषयों का चयन करेंगे।

बी.ए. तृतीय वर्ष के छात्र एवं छात्रायें बी.ए. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषयों में से कोई भी दो विषयों का चयन करेंगे।

बी.ए. तृतीय वर्ष के छात्र एवं छात्रायें उन्हीं विषयों में परास्नातक (एम.ए.) कर सकेंगें जो उन्हौने बी.ए. तृतीय वर्ष में लिये हैं।

बी.एससी. प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्रायें विषयों का चयन निम्न प्रकार करेंगे।

अनिवार्य विषय - राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन।

एैच्छिक विषय - निम्न लिखित विष्यों में कोई भी तीन-

बायो ग्रुप:- रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा।

मैथ ग्रप:- रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा।

बी.एससी. द्वितीय वर्ष के छात्र एवं छात्रायें बी.एससी. प्रथम वर्ष में लिये गये विषयों का चयन करेंगे।

बी.एससी. तृतीय वर्ष के छात्र एवं छात्रायें बी.एससी. द्वितीय वर्ष में लिये गये विषयों में से कोई भी दो विषयों का चयन करेंगे।

बी.एससी. तृतीय वर्ष के छात्र एवं छात्रायें उन्हीं विषयों में परास्नातक (एम.एससी.) कर सकेंगें जो उन्होंने बी. एससी. तृतीय वर्ष में लिये हैं।

<u>एम.ए.</u> - हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी।

बी.बी.ए.- सभी अनिवार्य विषय।

बी.कॉम. - (i) Business Administration (ii) Account And Law (iii) Applied Business Economics (iv) राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन।

प्रवेश प्रक्रिया

- 1. प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 250 रु0 का भुगतान कर कार्यालय से विवरण पुस्तिका (आवेदन पत्र सहित) प्राप्त कर लें।
- 2. स्नातक व परास्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु वेब पंजीकरण के बाद ही आवेदन पत्र कालेज में मान्य हो सकेंगे।
- 3. विवरण पुस्तिका का ठीक से अध्ययन करके आवेदन पत्र पूर्णत: भरें तथा निम्न संलग्नक अनिवार्यत: लगायें-
 - चरित्र प्रमाण-पत्र
 - केवल अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक की प्रमाणित (प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी हाईस्कूल एवं इण्टर या उनके समकक्ष दोनों के प्राप्तांकों की प्रमाणित प्रतिलिपि लगायें)। यदि प्राप्तांक उपलब्ध न हों तो भी समय के अन्दर पंजीकरण करा लें तथा अंकतालिका प्रवेश साक्षात्कार के समय अवश्य लायें।
 - अर्ह परीक्षा तथा आवेदन करने के मध्य यदि कोई अन्तराल है तो इस अविध में किये गये अध्ययन कार्य का प्रमाण, अन्यथा शपथ पत्र।
 - प्रत्येक अभ्यर्थी पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ अपने प्रवेश-पत्र पर चिपकायें।
 - यदि प्रवेश में आरक्षण के अधिकारी हों तो उसका घोषणा-पत्र।
 - यदि प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंक के अधिकारी हों तो उसका प्रमाण-पत्र।
- 4. बी. ए. एवं बी. एस-सी., बी. कॉम. प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी:
 - कार्यालय में रु० २/- पंजीकरण शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
 - प्रवेश के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना-पट पर लगा दी जायेगी। निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु (1) सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतिलिपि (2) ट्रांसफर सर्टिफिकेट, (3) शुल्क राशि, (4) अर्ह परीक्षा में प्राप्तांक की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि पहले न जमा की हो) एवं (5) एक फोटोग्राफ सहित निर्धारित गणवेश में उपस्थित हों।
- 5. अन्य कक्षाओं के प्रवेशार्थी :-
 - अपनी कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में किसी दिन (1) सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपि (2) ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (यदि आवश्यक हो) (3) कुल शुल्क राशि तथा पंजीकरण राशि (4) एक फोटोग्राफ सहित निर्धारित गणवेश में उपस्थित हों।
- 6. दूसरे विद्यालय से आने वाले प्रवेशार्थी पंजीकरण के समय टी. सी. जमा न करें, क्योंकि जमा किये कागजात वापस नहीं किये जायेंगे। **शुल्क जमा रसीद लेते समय टी. सी. जमा करना अनिवार्य है।**
- 7. प्रवेश निश्चित किये जाने पर कुल शुल्क का भुगतान कर दिया जाना आवश्यक है।
- 8. अनुसूचित जाति के छात्र प्रवेश निश्चित होने पर अपना सेविंग बैंक खाता सेन्ट्रल बैंक, जे. एल. एन. कालेज, एटा में खुलवा लें, तभी प्रवेश पा सकेंगे।
- 9. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र -छात्राओं का शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है।

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

- (1) B.A. हिन्दी भाषा, सामान्य अंग्रेजी हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र गृह विज्ञान, संगीत वादन (तबला) ऑफिस मैनेजमेंट, शारीरिक शिक्षा
- (2) B.Sc.भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा
- (3) B. Com. सभी ग्रुप
- (4) M.A. हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, अंग्रेजी।
- (5) Job Oriented Courses (रोजगार परक पाठ्यक्रम) :-
- (a) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

प्रस्तावित:- M.Sc. (Math), M.Com.

शोधकार्य - अर्थशास्त्र व हिन्दी विषय में शोध प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त।

विद्यार्थियों के लिए निर्धारित गणवेश (Prescribed Uniform For Students)

(विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य है)

B.A., B.Sc., B.Com., M.A.

छात्राओं के लिए - सफेद कर्ता, सिलेटी सलवार, सिलेटी कोटी। (सैम्पल कालेज कार्यालय में उपलब्ध है।)

शीतकाल में सिलेटी कार्डीगन/सिलेटी स्वेटर।

छात्रों के लिए - सफेद कमीज, सिलेटी पैण्ट।

- शीतकाल में नेवी ब्लू ब्लेजर/स्वेटर।

B.B.A.

छात्राओं के लिए - क्रीम कलर का कुर्ता, काली सलवार, काला दुपट्टा, काले जूते। छात्रों के लिए - क्रीम कलर की शर्ट, काली पैण्ट, काली टाई, काले जूते व मोजे।

शीतकाल में - काला कोट या काला स्वेटर।

प्रतिबन्ध -) छात्र/छात्राओं द्वारा कालेज परिसर के भीतर मोबाइल फोन/शस्त्र लाना प्रतिबंधित है।

महाविद्यालय का वैशिष्ट्य

- 1. राष्ट्रीय मूल्यॉकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा **B⁺ ग्रे**ड प्रदत्त महाविद्यालय ।
- 2. महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए निर्धारित गणवेश में ही आना अनिवार्य है।
- 3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनो स्तरों पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने का कीर्तिमान ।
- 4. विश्वविद्यालय का वृहत्तम नोडल परीक्षा केन्द्र।
- 5. विश्वविद्यालय में अधिकतम कार्य दिवस का कीर्तिमान।
- सुदृढ़ एवं कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध।
- 7. कार्यालय प्रबन्धन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग।
- 8. 50 कक्षों / सभागारों से युक्त विशाल सुसज्जित भवन।
- 9. कुशल एवं सुयोग्य प्राध्यापक।
- 10. समस्त आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ।
- 11. वार्षिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन।
- 12. संगोष्ठियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन।
- 13. खेलकूद में पूरे विश्वविद्यालय में उच्च कीर्तिमान। पुरूष फुटबाल में विश्वविद्यालय चैम्पियन। महिला बास्केट बॉल में विश्वविद्यालय चैम्पियन। अखिल भारतीय बैटबॉल महिला टीम में 6 खिलाड़ी कालेज से चयनित। भारत-नैपाल प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों सिहत टीम विजयी घोषित। उत्तर प्रदेश बैटबॉल महिला टीम में कॉलेज की 12 छात्राएं चयनित जो अखिल भारतीय प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर है।
- 14. महाविद्यालय प्रांगण में बैंकिग सुविधा।
- 15. सुरक्षित साइकिल स्टैण्ड की उचित व्यवस्था।
- 16. राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 इकाइयो का संचालन।
- 17. रोजगार परक पाठ्यक्रमों का संचालन (B.B.A.)
- 18. विज्ञान संकाय।
- 19. व्यवसाय प्रबंधन संकाय।
- 20. वाणिज्य-संकाय।
- 21. कम्प्यूटर प्रयोगशाला (आई.टी.)
- 22. NCC प्रस्तावित ।
- 23. **M. Sc.** (गणित) प्रस्तवित
- 24. **M. Com.** प्रस्तवित

सुविधा सृजन

1973	_	राष्ट्रीय सेवा योजना, सह - शिक्षा व्यवस्था
1974	_	बुक बेंक
1977	-	बैंक का विस्तार पटल (शाखा में परिवर्तित वर्ष 2011 से)
1978	_	साईकिल स्टैण्ड
1990	-	व्यायामशाला
1991	_	विद्यार्थियों के लिए गणवेश
1995	_	व्यायाम में मल्टी – जिम सुबिधा – हार्ड कोर्ट सुबिधा सृजन
1996	_	सम्पूर्ण महाविद्यालय के लिए इलैक्ट्रिक जैनरेटर
1997	_	रोजगार ब्यूरो की सुबिधा
1998	-	आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग (Fax, E-mail, Scanner & EPBX)
		टेलीफोन, इन्टरनेट व्यवस्था
2000	-	स्टॉफ एवं विद्यार्थियों के लिए पृथक्-पृथक् शीतल जल की व्यवस्था
2003	-	सुसज्जित प्राध्यापक–कक्ष
2005	-	विशाल गर्ल्स कॉमन रूम (Girls' Common Room) की सुबिधा
	-	स्नातकोत्तर विभागीय सुसज्जित कक्ष
2011-1	2 –	खुला समस्या समाधान केन्द्र । (Open problem solving centre)
	_	आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर (आई.टी.) प्रयोगशाला द्वारा प्रशिक्षण।
2016-1	7 –	स्मार्ट क्लासेस द्वारा अध्ययन।
	_	सी.सी.टी.वी. कैमरे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था।
2019-2	0 -	साउण्ड प्रूफ मल्टिपिल आडिटोरियम (प्रगति पर)
	-	वातानुकूलित पुस्तकालय (प्रस्तावित)
	_	एन. सी. सी. प्रस्तावित

प्राचार्य

कॉलेज का संक्षिप्त इतिहास

वर्ष 1963 में एटा एजूकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में नगर में एक महाविद्यालय स्थापित करने के प्रयास किये गये जो कि वर्ष 1966 में जवाहर लाल नेहरू कॉलेज, एटा के रूप में साकार हुए और उसी समय से यह कॉलेज निरन्तर प्रगित पथ पर अग्रसर है। प्रारम्भ में हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास व भूगोल जैसे 6 विषयों में स्नातक कक्षाओं से लेकर वर्तमान में 12 विषयों में स्नातक व 6 विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा कॉलेज में योग्य शिक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। छात्राओं के लिए गृह विज्ञान व संगीत विषयों का भी प्रबन्ध है। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान व गणित की तथा स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय की शिक्षा योग्य शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कॉलेज में शोध कार्य करने के लिए 60 हजार पुस्तकों से सुसज्जित पुस्तकालय है जिसका लाभ अनेक शोधार्थी प्रतिवर्ष उठाते हैं। कॉलेज में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद व आधुनिक जिम्नेजियम की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। कॉलेज में 03 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) की इकाइयाँ भी कार्यरत हैं। छात्र/छात्राओं को वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण सुसज्जित आधुनिक उपकरणों से प्रशिक्षण दिये जाने की समुचित प्रबन्ध किया गया है।

औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त कालेज में अनेक रोजगारपरक नवीन पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन (बी. बी. ए.) आदि।

छात्र/छात्राओं के लिए वातानुकूलित पुस्तकालय प्रस्तावित है। छात्र/छात्राओं के लिए साइकिल स्टैण्ड की भी व्यवस्था है।

प्रबन्ध समिति व प्राचार्य के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 12 मार्च, 2004 को कॉलेज में दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल डॉ. विष्णुकांत शास्त्री ने जनपद में प्रथम बार आकर कॉलेज दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत भाषण दिया।

उत्तरोत्तर प्रगति–पथ पर चलते हुए कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यॉंकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा दिसम्बर 2016 में **B**⁺ ग्रेड प्रदान किया गया।

प्राचार्य

नगर में कॉलेज की स्थिति

स्थिति :- नगर का एक मात्र शासकीय सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जी0 टी0 रोड (एटा–कानपुर रोड) पर स्थित है। कॉलेज तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड से साईकिल रिक्शा यातायात का प्रमुख साधन है। कॉलेज की दुरी रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड से क्रमश: 4 व 2 किलोमीटर है।

एटा नगर : भौगोलिक स्थिति

एटा नगर की स्थिति मानचित्रानुसार - अक्षांश (Longitude) 27°22'28" तथा देशान्तर (Latitude) 78°38'56" है और औसत तापमान (Average Temp) 25.44°C है।